Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).
[Supply Appeal Case No.- 176/2025]

Ajay Kumar...Appellant
Versus
The State of Bihar & Others..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	09.3.2026	**आदेश** यह आपूर्ति अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका संख्या-15205/2019 में दिनांक-17.10.2025 को पारित आदेश के आलोक में जिला चयन समिति के कार्यवाही ज्ञापांक-381-2 दिनांक-08.5.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। दिनांक-13.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। सुनवाई में Petitioner के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आपूर्ति शाखा, समाहरणालय, सुपौल द्वारा वर्ष 2017 में नई P.D.S. अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु विज्ञापन संख्या-01/2017 निर्गत किया गया। उक्त विज्ञापन के आलोक में Petitioner श्री अजय कुमार एवं अन्य अभ्यर्थी द्वारा ग्राम पंचायत-मेहासीमर हेतु अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुह के लिए निर्धारित सीट के विरूद्ध आवेदन समर्पित किया गया। उनका कहना है कि प्रकाशित विज्ञापन के शर्त के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी को वयस्क एवं मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथा कंप्यूटर जानकारी वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता देनी है। और कम्प्यूटर जानकारी में समान योग्यता होने एवं उच्चतर डिग्री की समानता होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता देनी है। किन्तु चयन समिति द्वारा विपक्षी प्रेम कुमार किसन का चयन इस आधार पर किया गया है कि अपीलार्थी एवं विपक्षी दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट है। लेकिन विपक्षी को पोस्ट ग्रेजुएट में ज्यादा अंक है। इसलिए इसे योग्य अभ्यर्थी माना गया है। जो पूर्णरूपेण गलत है। उनका कहना है कि उच्चतर योग्यता में समानता होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता देनी है। चयन समिति द्वारा नियम की गलत व्याख्या करते हुए एक ही डिग्री होने की स्थिति में अधिक अंकों से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी गयी है। उनका कहना है कि अपीलार्थी का जन्मतिथि 01.01.1989 है। जबकि विपक्षी प्रेम कुमार किसन का तीन अलग-अलग जन्मतिथि अलग-अलग कागजातों में दर्ज हैं। उपरोक्त विषमताओं के बावजूद चयन समिति द्वारा P.D.S. अनुज्ञप्ति हेतु विपक्षी का चयन किया गया है। उनका कहना है कि चयनित अभ्यर्थी प्रेम कुमार किसन जो शंभु कुमार साह के रूप में भी समाज व सरकारी दस्तावेजों में जाना-पहचाना जाता है का चयन रद्द करते हुए उनके पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आदेश पारित किया जाय। विपक्षी प्रेम कुमार किशन का कहना है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानो के अनुसार सभी प्रक्रियाओं का सही अनुपालन करते हुए चयन समिति द्वारा उनका चयन किया गया है। उनका कहना है कि Petitioner और विपक्षी दोनो पोस्ट ग्रेजुएट है तथा Petitioner का प्राप्तांक 58.81 प्रतिशत एवं विपक्षी को 62.80 प्रतिशत है। उनका कहना है कि	

09.3.2026

चयन प्रावधानो के अनुसार जो अधिक योग्य होगा उसे प्राथमिकता दी जायेगी। तथा यह कि विपक्षी को Petitioner से अधिक अंक प्रतिशत है। इस प्रकार चयन समिति द्वारा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम 9(v) के प्रावधानो के अनुरूप उनका चयन किया गया है। जो विधिसम्मत हैं।

बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) नियमावली-2016 के नियम 9(v) के अनुसार "The applicant of a fair price shop's license must be matric pass and an adult; Provided that the applicant having computer knowledge shall be given priority. In case of equality in computer knowledge, the applicant having highest qualification and in case of equality in highest qualification also the applicant of older age shall be given priority".

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख/कागजातों के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि वर्ष 2017 में सुपौल अनुमंडल के किशनपुर प्रखंड अन्तर्गत मेहासिमर पंचायत के लिए कुल-3 (अनारक्षित महिला-2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1, अनुसूचित जाति-1) नई अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के आलोक में अजय कुमार एवं प्रेम कुमार किसन द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन किया गया। यह Admitted है कि अपीलार्थी अजय कुमार एवं विपक्षी प्रेम कुमार किसन दोनों का शैक्षणिक योग्यता समान (स्नाकोत्तर) है। योग्यता समान होने की स्थिति में बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) नियमावली-2016 के नियम 9(v) के तहत अधिक उम्र के आवेदक को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल -सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी (विपक्षी-4) की ओर से दाखिल कागजातों के साथ उभय पक्ष का आवेदन पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अपीलार्थी की ओर से विपक्षी प्रेम कुमार किशन से अधिक उम्र रहने का प्रमाणित साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया है। अतः इस मामले को जिला स्तरीय चयन समिति को Remand Back करते हुए निदेशित किया जाता है कि उभय पक्ष का जन्म तिथि संगत कानूनी प्रावधानों के अनुसार विनिश्चित करते हुए बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) नियमावली-2016 के नियम 9(v) के अनुसार समान योग्यता रहने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।

Sd/- 09/3/26.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखाप्रित एवं शुद्धित।
Sd/- 09/3/26.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा
सत्यमेव जयते